

निजी बैंकों का विकास एवं वैधानिक व्यवस्था का एक अध्ययन (रीवा जिले के विशेष सन्दर्भ में)

डॉ. मनीष कुमार शुक्ला¹ and अनुराग तिवारी²

प्राध्यापक, वाणिज्य संकाय, शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)¹

शोधार्थी, वाणिज्य संकाय, शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)²

शोध सारांश: प्रस्तुत शोध पत्र रीवा जिले के लिए जिले के निजी बैंक यथा आई.सी.आई.सी.आई. बैंक, एच.डी. एफ.सी. बैंक व ऐक्सिस बैंक भी ठीक उसी प्रकार साख सृजन का निर्माण कर रहे हैं, जिस प्रकार राष्ट्रीयकृत या सार्वजनिक बैंक। अंतर केवल इतना है कि सार्वजनिक बैंकों का लोगों में विश्वास पहले से जमा हुआ है। नए-नए बैंकों में विश्वास जमाने में कुछ समय लगता है। किन्तु हमें यह बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि रीवा जिले के इन बैंकों ने अब अपनी पैठ अच्छी मजबूती के साथ रीवा के व्यावसायिक एवं औद्योगिक जगत में जमा ली है। केवल यह कार्य शहरी क्षेत्र (केवल रीवा व मैहर तहसील) में अधिक हुआ है क्योंकि अभी इन बैंकों की शाखाएँ रीवा के अन्य क्षेत्रों में अर्थात् कस्बों/तहसीलों/ब्लाक व गाँवों में नहीं हैं। किन्तु ग्रामीण जन भी इन बैंकों में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये बराबर दस्तक दे रहे हैं क्योंकि सरकारी बैंक निरंकुश हो गए हैं, एकाधिकारी प्रवृत्ति पनपने लगी है, नौकरशाही पर सरकारी छाया दिखने लगी है। ये बैंक जानते हैं कि हमारा तो इतना बड़ा नेटवर्क है, हमारा व्यवसाय या कामकाज कुछ गाँवों में नहीं भी होगा तो क्या बिगड़ जाएगा या हमारी लाभार्जन क्षमता पर कौन-सा विशेष प्रभाव पड़ेगा।

मुख्य शब्द: निजी बैंक, विकास, वैधानिक, व्यवस्था, पूँजी आदि।

प्रस्तावना:

किसी देश के आर्थिक विकास के लिये पूँजी की बहुत आवश्यकता होती है। बैंक छोटी-छोटी धनराशि एकत्रित करते हैं तथा बचत को बढ़ावा देते हैं। इस एकत्रित धनराशि को उन क्षेत्रों में विनियोजित करते हैं जहाँ उसकी आवश्यकता हाती है। बैंक दूसरों का धन एकत्रित करके उसे उपभोग, व्यापार, उद्योग तथा सेवा के लिए प्रदान करते हैं। इस प्रकार बैंक देश में पूँजी की आवश्यकताओं को बड़ी मात्रा में पूर्ति करके देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वह करते हैं।

बैंक शब्द का प्रयोग सन् 1771 में सर्व प्रथम “बैंक ऑफ़ वैनिस” की स्थापना करके हुई। प्रचलित किंवदन्ती के अनुसार इसी वर्ष वैनिस राज्य अपने पड़ोसी राज्य से संघर्ष हो जाने के कारण घोर आर्थिक



संकट में फँस गया। आर्थिक साधन जुटाने हेतु जब परिषद के सम्मुख अन्य कोई उपाय शेष नहीं रह गया तो उसने राज्य के प्रत्येक नागरिक से अपनी सम्पत्ति का एक प्रतिशत ऋण, अनिवार्य रूप से राज्य को देने का प्रस्ताव किया और इस ऋण पर 4 प्रतिशत ब्याज देने की घोषणा की। इस प्रस्ताव से बहुत बड़ी मात्रा में धन एकत्रित हो गया। एकत्रित धन की इस बहुत बड़ी मात्रा को इटैलियन भाषा में MONTE कह कर पुकारा गया। MONTE का अर्थ हिन्दी में पहाड़ होता है। जिस समय उपर्युक्त घटना हुई, इटली का बहुत बड़ा भाग जर्मनी के आधिपत्य में था। अतः MONTE का जर्मन पर्यायवाची शब्द Banck का प्रयोग किया गया। शनैः शनैः इटली के निवासी इसे इटैलियन भाषा में Banco, फ्रांसीसी Banke और अंग्रेज Bank कहकर सम्बोधित करने लगे।

कुछ विद्वानों का मत है कि बैंक शब्द की उत्पत्ति इटली के Banco या Bancus या Banque शब्दों से हुई है। इन सभी का अर्थ बैंच (Bench) से है। कुछ विद्वान फ्रेंच भाषा के Banke शब्द को बैंक शब्द का श्रोत मानते हैं। कुछ विद्वानों का कथन है कि बैंक शब्द की उत्पत्ति जर्मन भाषा के Banck शब्द से हुई है। जिसका अर्थ संयुक्त स्कंध कोष (Joint Stock Fund) होता है। वस्तुतः बैंक शब्द बहुत से व्यक्तियों द्वारा एकत्रित किये गये एक सामूहिक कोष का द्योतक है।

आधुनिक बैंकों का शुभारम्भ 17 वीं शताब्दी के प्रारम्भ में हुआ माना जाता है जबकि सन् 1609 में Bank of Amesterdam (हालैण्ड), सन् 1619 में Bank of Hamburg (जर्मनी) और सन् 1694 में Bank of England स्थापित हुए। धीरे-धीरे राष्ट्रों की अर्थ व्यवस्था तथा विकास में बैंकों का महत्व बढ़ता गया और संयुक्त पूँजी वाले बैंक स्थापित किये जाने लगे।

भारत में संयुक्त पूँजी बैंकिंग प्रणाली अर्थात् आधुनिक बैंकिंग प्रणाली का प्रारम्भ अंग्रेजों द्वारा स्थापित अभिकर्ता गृहों (Agency Houses) से हुई। ये गृह अपने अन्य व्यवसायों के साथ-साथ जनता से निक्षेप स्वीकार करने का कार्य करते थे और उनकी ऋण संबंधी व्यापारिक तथा औद्योगिक आवश्यकताओं को भी पूरा करते थे। ईस्ट इण्डिया कम्पनी का सन् 1813 में भारत के विदेशी व्यापार पर से एकाधिकार समाप्त हो जाने से अभिकर्ता गृहों पर काफी कुठाराघात हुआ और 1832 तक उनका पतन हो गया। भारतीय बैंकिंग प्रणाली के विकास का यह पहला युग था।

भारत में आधुनिक बैंकिंग के विकास के दूसरे युग का आरम्भ प्रेसीडेन्सी बैंकों की स्थापना से होता है। सन् 1806 में ईस्ट इण्डिया कम्पनी के आज्ञा-पत्र के अनुसार बैंक ऑफ कलकत्ता नाम का पहला आधुनिक बैंक स्थापित किया गया। बाद में 1840 में बैंक ऑफ बाम्बे तथा 1843 में बैंक ऑफ मद्रास नाम के दो अन्य बैंक स्थापित किये गये। ये सभी बैंक एक उद्देश्यों और सिद्धांतों पर स्थापित किये गये थे तथा इन्हें मुद्रा



निर्गमन का अधिकार प्राप्त था। 1862 में प्रेसीडेन्सी बैंकों से नोट निर्गमन का अधिकार वापस ले लिया गया। उन्नीसवीं शताब्दी के अन्तिम वर्षों में तीन प्रेसीडेन्सी बैंकों के अतिरिक्त अन्य संयुक्त स्कन्ध बैंकों की स्थापना हुई। इनमें इलाहाबाद बैंक (1865), एलान्स बैंक ऑफ शिमला (1875), अवध कामर्शियल बैंक (1881), पंजाब नेशनल बैंक (1894) तथा पिपुल्स बैंक ऑफ इण्डिया (1901) मुख्य हैं।

27 जनवरी 1921 को तीनों प्रेसीडेन्सी बैंकों का विलय करके कम्पीरियल बैंक ऑफ इण्डिया की स्थापना हुई। इस बैंक को नोट निर्गमन का अधिकार नहीं था परन्तु इसे सरकार के बैंक के रूप में कार्य करने का अधिकार था। देश में केन्द्रीय बैंक की स्थापना की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक इण्डिया की स्थापना की गई। रिजर्व बैंक को देश के केन्द्रीय बैंक के समस्त कार्य करने का भार सौंपा गया ता इसे नोट निर्गमन व नियमन का एकाधिकार भी प्रदान किया गया। 1948 में रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया तथा यह पूर्ण रूप से सरकारी बैंक हो गया।

ऑल इण्डिया क्रेडिट सर्वे कमेटी की सिफारिश पर 1955 में इम्पीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण करके स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की स्थापना की गई। 1959 में स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा सहायक बैंक अधिनियम पारित किया गया। जिसके अनुसार आठ बैंकों को स्टेट बैंक का सहायक बैंक बना दिया गया है। बाद में स्टेट बैंक ऑफ जयपुर तथा स्टेट बैंक बीकानेर को मिला दिया गया।

19 जुलाई 1969 में 50 करोड़ से अधिक की जमा वाले 14 अनुसूचित बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। 15 अप्रैल 1980 को 6 अन्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया।

भारत में बैंकिंग व्यवस्था के अविभाजित काल से ही यहाँ निजी बैंक अस्तित्व में हैं। भारत में निजी क्षेत्र में स्थापित होने वाला पहला बैंक इन्दुसिन्ध (Indysind) बैंक था। ING Vysya एक अन्य निजी बैंक की स्थापना 1930 में की गई जिसकी प्रथम शाखा 1934 में बेंगलूर में स्थापित की गई। निश्चित सामाजिक दायित्वों के साथ वाणिज्यिक बैंकों को आर्थिक विकास की मुख्य धारा में लाने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार ने 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का एवं 15 अप्रैल 1980 को 6 अन्य वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया।

नरसिम्हम् कमेटी की रिपोर्ट की सिफारिश के अनुसार वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार कार्यक्रमों को अंगीकार करने के तारतम्य में 1993 में स्थापना करने की अनुमति निजी क्षेत्र को दी गई। निजी क्षेत्र में वे बैंक ही स्थापित हो सकते हैं जिनकी शेयर पूँजी कम से कम 100 करोड़ रुपये होगी। इन बैंकों पर रिजर्व बैंक का पूर्ण नियंत्रण होगा तथा इन्हें बैंक बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंतर्गत लाइसेन्स दिये जायेंगे। निजी क्षेत्र में भारतीय रिजर्व बैंक का अनुमोदन प्राप्त करने वाला पहला बैंक हाउसिंग डेवलपमेन्ट फाइनेन्स कॉर्पोरेशन (



HDFC) लिमिटेड था। इस बैंक की स्थापना अगस्त 1994 में की गई। इसके उपरान्त जनवरी 1995 में इसे रिजर्व बैंक की दूसरी अनुसूची में शामिल कर लिया गया।

बैंक की परिभाषा (Definition of Bank) :

साधारण बोल-चाल की भाषा में 'बैंक' का अर्थ उस संस्था से लगाया जाता है जो जनता का धन जमा करती है तथा ऋण के रूप में अथवा जमाकर्त्ताओं के माँगने पर भुगतान करती है। संक्षेप में द्रव्य का लेन-देन करने वाली संस्था ही बैंक कहलाती है।

वर्तमान समय में बैंकिंग का क्षेत्र और उसकी कार्य-प्रणाली में इतना परिवर्तन आ गया है कि बैंक की एक सर्वमान्य परिभाषा देना कठिन है विभिन्न अर्थशास्त्रियों द्वारा दी गई परिभाषा को निम्न शीर्षकों के अंतर्गत अध्ययन किया जा सकता है—

बैंक की परिभाषाएँ :

- सामान्य परिभाषा
- कार्यानुसार परिभाषा
- वैधानिक परिभाषा
- साख संस्था के रूप में परिभाषा

सामान्य परिभाषा (General Dification) :

- **डॉ. एच.एल. हॉर्ट** :- “बैंक वह व्यक्ति है जो अपने साधारण व्यवसाय के अंतर्गत मुद्रा प्राप्त करता है और जिसे वह उन व्यक्तियों के बैंकों का भुगतान करते हैं जिन्होंने या जिनके खाते में यह रुपया जमा किया जाता है।
- **किनले** :- “बैंक एक ऐसी संस्था है जो ऐसे व्यक्तियों को धन उधार देती है जिन्हें जरूरत है और जो लोगों का अतिरिक्त धन अपने पास जमा करती हैं।”
- **गिलबर्ट** :- “बैंक पूँजी अथवा अधिक शुद्ध शब्दों में मुद्रा का व्यवसायी है।”
- **क्राउधर** :- “बैंक का व्यवसाय जनता से ऋण लेना और बदले में ऋण देना तथा इस प्रकार मुद्रा का सृजन करना है।”

**कार्यानुसार परिभाषा (Functional Definitions) :**

जॉन पिजेन्ट: “कोई भी व्यक्ति अथवा संस्था तब तक बैंकर कहलाने का अधिकारी नहीं है जब तक कि वह निक्षेप खाते स्वीकार न करे, चालू खाते में रूपया जमा नहीं करता है, चैकों को निर्गमित करने और अपने ऊपर लिखे हुए चैकों के बदले में द्रव्य देने का कार्य नहीं करता है, चैकों को चाहे वे सादे हों या अरेखित या रेखित हों, अपने ग्राहकों के लिये एकत्रित नहीं करता है।”

यह कहा जा सकता है कि चाहे ये सब उपरोक्त कार्य एक व्यक्ति या बहुत से सम्मिलित व्यक्तियों द्वारा किये जाते हैं परन्तु कोई भी बैंकर या बैंक नहीं कहला सकता जब तक कि वह ये शर्तें पूरी न करता हो – (अ) बैंकिंग उसका मान्य या ज्ञात व्यवसाय हो, (ब) वह अपने आपको बैंकर या बैंक मानता हो और जनता भी ऐसा ही समझती हो, (स) उसका विचार भी ऐसा कार्य करके धन कमाना हो तथा (द) वह व्यवसाय उसका गौण व्यवसाय न हो बल्कि वह मुख्य व्यवसाय हो।

वेबस्टर कोष : “बैंक वह संस्था है जो द्रव्य में व्यवसाय करती है, एक प्रतिष्ठान जहाँ धन का जमा, संरक्षण तथा निर्गमन होता है तथा जहाँ ऋण देने एवं कटौती की सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान तक धनराशि भेजने की व्यवस्था की जाती है।”

वैधानिक परिभाषाएँ (Legal Definitions) :

- सन् 1936 में भारतीय कम्पनी विधान में बैंक की निम्न परिभाषा दी गयी है “बैंकर वह है जिसका मुख्य व्यवसाय जनता से जमा स्वीकार करना है। यह जमा बैंक ड्राफ्ट आदि की सहायता से निकाली जा सकती है।”

बैंकिंग कम्पनी विधान 1949 की परिभाषा :

धारा 5 (ब) के अनुसार – “बैंकिंग से आशय ऋण देने अथवा विनियोजन के लिये जनता से जमा प्राप्त करना है, जिसे माँग पर अथवा अन्य किसी प्रकार की आज्ञा द्वारा वापस लिया जा सके।”

धारा 5 (स) के अनुसार – “बैंकिंग कम्पनी वह कम्पनी है जो बैंकिंग का कार्य करती हो।”

साख संस्था के रूप में परिभाषाएँ (Definition as credit Institutions) :

- **क्राउथर –** “बैंकर अपने तथा अन्य लोगों के ऋणों का व्यवसायी होता है अर्थात् बैंकर का व्यवसाय अन्य लोगों से ऋण लेना और उसके बदले में अपने ऋण देना और इस प्रकार मुद्रा का सृजन करना है।

- **हॉरेस व्हाइट** – “बैंक साख का निर्माता है और विनिमय की सुविधा प्रदान करने वाली मशीन है।”
- **कैनेथ मेकन्जी** – “बैंकिंग व्यवसाय की संक्षिप्त परिभाषा यह दी जा सकती है कि जो मुद्रा साख पत्रों में व्यवहार करता हो।”

किसी भी राष्ट्र के आर्थिक उन्नयन/विकास में वहाँ के बैंकों का एक विशिष्ट महत्वपूर्ण एवं आवश्यक स्थान होता है। सर्वविदित है कि किसी भी राष्ट्र में अल्पकालीन पूँजी की आवश्यकता मुद्रा बाजार से तथा दीर्घकालीन पूँजी की आवश्यकता पूँजी बाजार के माध्यम से पूर की जाती है, परन्तु भारत जैसे अर्द्ध-विकसित राष्ट्रों में चूँकि मुद्रा बाजार व पूँजी बाजार दोनों ही विकसित व संगठित नहीं होते। परिमाणतः इन राष्ट्रों में औद्योगिक प्रतिष्ठानों के लिये वित्त की उपलब्धता असंभव नहीं तो जटिल समस्या अवश्य है। इसी प्रधान समस्या के निवारणार्थ या समाधान के रूप में 20वीं सदी में और विशेषतः द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से विकास बैंकिंग के युग की शुरुआत हुई।

बैंक की तुलना रक्तवाहिनी नाड़ियों से की जाती है। जिस प्रकार रक्तवाहिनी नाड़ियाँ सम्पूर्ण शरीर में रक्त को पहुँचाकर मानव शरीर को चुस्त-दुरुस्त बलशाली व स्वस्थ बनाती है, ठीक उसी प्रकार से बैंक सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था को प्रबंध करके उसे सशक्त या मजबूत बनाता है। इसलिये बैंक को व्यापार, तथा उद्योग का धमनी केन्द्र कहा जाय तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बैंक से पूँजी निर्माण होता है, पूँजी की उत्पादकता में वृद्धि होती है, कृषि का विकास होता है, व्यापार बढ़ता है, उद्योग पनपते हैं। रोजगार के अवसरों में वृद्धि होती है, प्रतिव्यक्ति आय में बढ़ोत्तरी होती है, समाज में बचत प्रवृत्ति पनपती है तथा देश आर्थिक विकास के पथ पर आगे बढ़ता है। इसलिये बैंकिंग व्यवस्था आधुनिक आर्थिक जगत का प्राण कहा जाता है क्योंकि देश का व्यापार, वाणिज्य, उत्पादन तथा औद्योगिक प्रगति आदि सभी बैंकिंग व्यवस्था पर केन्द्रित है।

बैंक ऐसी वित्तीय संस्था है जो उद्योगों को मध्यम व दीर्घकालीन वित्त प्रदान करता है, उद्यम प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देता है, संगठनात्मक प्रभावशीलता बढ़ाता है तथा व्यावहारिक एवं तकनीकी ज्ञान की उन्नति करता है। बैंक या तो ऋण देता है या पूँजी अथवा दोनों प्रदान करने के साथ-साथ सलाहकारी, प्रोत्साहनात्मक तथा उद्यमी सेवाएँ भी उपलब्ध कराता है।

भारतीय बैंकिंग प्रणाली

स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व अर्थात् ब्रिटिश शासन काल से पूर्व हमारे देश में “देशी बैंकिंग प्रणाली” चालू थी, जो गाँव या नगर या कस्बों के साहूकारों व महाजनों द्वारा संचालित होती थी। यह शुद्ध देशी बैंकिंग प्रणाली अंग्रेजों के आगमन के उपरान्त ईस्ट इण्डिया कम्पनी काल में धीरे-धीरे समाप्ति की राह पकड़ने लगी थी और इसका मूलतः एक कारण था कि हमारे साहूकार या महाजन या देशी बैंकर विदेशी बैंकिंग प्रणाली से



परिचित नहीं थे, उनकी कार्यप्रणाली से अनभिज्ञ थे। ब्रिटिश शासनकाल से ही आधुनिक बैंकिंग का विकास माना जाता है। अतः भारतीय बैंकिंग प्रणाली के विकास को हम निम्नांकित वर्गों में विवेचित कर सकते हैं।

- स्वतंत्रता के पूर्व भारतीय बैंकिंग व विकास
- स्वतंत्रता के पश्चात् भारतीय बैंकिंग व विकास

स्वतंत्रता के पूर्व भारतीय बैंकिंग व विकास :

भारत में बैंकिंग का प्रादुर्भाव 18वीं शताब्दी के अन्तिम दशक में हुआ। भारत में पहला **बैंक जनरल ऑफ इण्डिया** था जो सन् 1786 में प्रारम्भ हुआ। और सन् 1790 में **बैंक ऑफ हिन्दुस्तान** स्थापित किया गया था, जो वर्तमान में परिदृश्य में विद्यमान नहीं है।

अंग्रेजों के आने से पहले हमारे देश में देशी साहूकारों अर्थात् साहूकारी बैंकिंग प्रणाली प्रचलित थी। अंग्रेजों ने भारतीय बैंकर्स की सेवाओं का लाभ लेने के उद्देश्य से अभिकर्ता गृहों की स्थापना की थी, जिससे देश में आधुनिक बैंकिंग प्रणाली का विकास प्रारम्भ हुआ। इन अभिकर्ता गृहों के माध्यम से अपने व्यवसाय के साथ-साथ जनता से निपेक्ष स्वीकार करने तथा ऋण प्रदान करने का कार्य भी होता था। आगे चलकर ईस्ट इण्डिया कम्पनी का सन् 1813 में भारतीय विदेशी व्यापार पर एकाधिकार समाप्त हुआ तो इसका सबसे बड़ा और बुरा असर अभिकर्ता गृहों पर भी पड़ा था, फलतः 1832 तक देश में इन गृहों का पतन हो गया। इस प्रकार भारतीय बैंकिंग प्रणाली के विकास के पहले युग का अंत हो गया।

भारत में आधुनिक बैंकिंग के विकास के दूसरे युग का प्रारम्भ **प्रेसीडेन्सी बैंकों** की स्थापना से माना जाता है या यह कहे कि भारत के आधुनिक बैंकिंग प्रणाली की मात्रा में या विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान प्रेसीडेन्सी बैंकों का रहा है, तो अतिशयोक्ति पूर्ण बात नहीं होगी। सन् 1806 में ईस्ट इण्डिया कम्पनी के आज्ञा पत्र के अनुसार **‘बैंक ऑफ कलकत्ता’** नाम का पहला आधुनिक बैंक स्थापित किया गया। जो सामान्यतः **“बैंक ऑफ बंगाल”** के नाम से जाना जाने लगा था। इसके पश्चात् सन् 1840 में **“बैंक ऑफ बम्बे”** और सन् 1843 में **“बैंक ऑफ मद्रास”** की स्थापना हुई। इन तीनों बैंकों को प्रेसीडेन्सी बैंक के नाम से जाना गया। इनका मुख्य उद्देश्य या ध्येय ईस्ट इण्डिया कम्पनी को आर्थिक सहायता प्रदान करने के साथ-साथ देशी व्यापार एवं उद्योगों को ऋण प्रदान करना था। इन बैंकों को नोट निर्गमन करने का भी अधिकार था। परन्तु इस अधिकार को 1862 में वापस ले लिया गया। ये तीनों बैंक सन् 1920 तक सफलता पूर्वक कार्य संचालित करते रहे तत्पश्चात् सन् 1921 में तीनों प्रेसीडेन्सी बैंकों अर्थात् बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ बम्बई तथा बैंक ऑफ मद्रास का एकीकरण कर **इम्पीरियल बैंक** की स्थापना की गई।



सन् 1839 में भारतीय व्यापारियों को ऋण व अन्य सहायता प्रदान करने हेतु कलकत्ता में यूनियन बैंक की स्थापना की गई परन्तु 1848–49 की आर्थिक मंदी के फलस्वरूप इस को बंद करना पड़ा।

आधुनिक बैंकिंग प्रणाली के तीसरे युग का प्रारम्भ 1860 से होता है जबकि संयुक्त पूँजी वाले बैंकों के साथ सीमित दायित्व के सिद्धान्त की शुरुआत की गई। सन् 1865 में इलाहाबाद बैंक की स्थापना की गई कालान्तर के अब इंडियन बैंक में परिवर्तित हो गया है। जो अभी भी भारत में कार्यरत है, सबसे पुराना संयुक्त स्टॉक बैंक है। भारतीय प्रबंध के अंतर्गत संचालित सबसे पहला बैंक **अवध कामर्शियल बैंक** था जो सन् 1881 में फैजाबाद में स्थापित किया गया था। अगला बैंक सन् 1895 में लाहौर में **पंजाब नेशनल बैंक** के नाम से स्थापित किया गया जो कि वर्तमान में भारत के बड़े-बड़े बैंकों में से एक यह भी है। इसके बाद 1905 और 1913 के बीच स्थापित होने वाले बैंक— बैंक ऑफ इण्डिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेण्ट्रल बैंक, दी इण्डियन बैंक, बैंक ऑफ मैसूर, कार्पोरेशन बैंक, केनरा बैंक अब यूनियन बैंक में परिवर्तित हो गया है।

सन् 1905 के बाद देश में बैंकिंग का विकास इतनी तीव्र गति के साथ हुआ था कि इसमें किसी भी प्रकार का स्थायित्व न आ सका था। भारतीय मुद्रा बाजार की अस्थायी प्रकृति के कारण बैंकिंग संकट के लिये उपयुक्त दशाएँ विद्यमान थीं। सन् 1912–13 में ही बैंकों पर संकट के बादल मड़राने लगे थे। युद्धकालीन अनिश्चितता के कारण बैंकों के प्रति लोगों का विश्वास कम हो रहा था और जमा राशि के आहरण की माँग दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। इसका असर सर्वप्रथम पीपुल्स बैंक ऑफ इण्डिया पर पड़ा और सितम्बर सन् 1913 में यह बैंक दिवालिया हो गया। इसकी प्रतिक्रिया अन्य सभी बैंकों पर साफ-साफ नजर आने लगी और धीरे-धीरे एक-एक करके सन् 1913–1918 तक बैंकों के डूबने व दिवालिया होने का क्रम चलता रहा। इस समयावधि में कुछ बैंक जिसकी प्रदत्त पूँजी 179 लाख रुपये थी, डूब गये।

शोध कार्य का उद्देश्य:

1. रीवा जिले के विकास में निजी बैंकों की भूमिका का अध्ययन किया गया है।
2. रीवा जिले के समग्र विकास में निजी बैंकों की महती भूमिका का अध्ययन किया गया है।
3. निजी बैंक सार्वजनिक बैंकों की अपेक्षा आपको सुगमता से ऋण प्रदान करते हैं का अध्ययन किया गया है।

शोध निष्कर्ष:

सन् 1990 में पी.वी. नरसिम्हाराव के प्रधानमंत्रीत्वकाल से उदारीकरण की नीति अपनायी गई। इस नीति के कारण निजी बैंकों को अनुज्ञप्ति देने की प्रक्रिया शुरू हुई और इससे निजी बैंक जैसे ऐक्सिस बैंक,



एच.डी.एफ.सी. बैंक, आई.सी.आई.सी.आई. बैंक, ग्लोबल एण्ड ट्रस्ट बैंक आदि अस्तित्व में आये। इस कारण भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर और तीव्र हो गई। इस प्रकार सार्वजनिक बैंक, निजी बैंक व विदेशी बैंक ये सभी मिलकर भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान देने लगे। उदारीकरण नीति के संदर्भ में दूसरा महत्वपूर्ण कदम भारत सरकार द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के नियमों में ढील देना या नरमी बरतना था जिससे विदेशी निवेशक भारत में निवेश करने के लिये आकर्षित हो सके। विदेशी निवेशकों की बैंकों में 10 प्रतिशत मताधिकार का हिस्सा निर्धारित किया गया। कुछ कानूनी प्रावधानों के साथ यह बढ़कर 74 प्रतिशत हो सकता है। वर्तमान समय में भारतीय बैंकिंग पूर्ति करके विभिन्न प्रकार के उत्पाद मुहैया कराने और प्रत्येक स्थानों (शहरों, ग्रामीणों, कस्बों, छोटी-छोटी बस्तियों आदि) पर स्थापना आदि के संबंध में पूर्णतः परिपक्वता की स्थिति में आ चुकी है। हालांकि निजी बैंक एवं विदेशी बैंक अभी भी ग्रामीण अंचल से काफी दूर है। भारतीय बैंक की स्थिति का विवरण अन्य बैंकों से अपेक्षाकृत अधिक स्वच्छ, मजबूत व पारदर्शी स्थिति में रहता है। भारतीय रिजर्व बैंक आज भी स्वायत्त निकाय के रूप में कार्य कर रहा है अर्थात् इस पर भारत सरकार का दबाव नाममात्र का रहता है। बैंक की इसी नीति ने भारतीय मुद्रा की स्थिति को विदेशी मुद्रा के मुकाबले में और मजबूत बनाया है ताकि उसका विनिमय दर पर प्रतिकूल असर न पड़े। जैसे-जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि होती गयी वैसे-वैसे बैंकिंग क्षेत्र में सेवा क्षेत्र को भी शामिल किया जाने लगा। मुख्यतया खुदरा बैंकिंग सेवाएँ, बंधक व विनियोग सेवाएँ मजबूत स्थिति में आ गई हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- [1]. मिश्रा, डॉ. जे.पी., समष्टि अर्थशास्त्र एवं मुद्रा और बैंकिंग, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, वर्ष 2021,
- [2]. यादव, डॉ. सुकेश एवं सक्सेना, डॉ. सविता, शैक्षिक अनुसंधान विधियाँ एवं शैक्षिक, साहित्य प्रकाशन, आगरा 2017
- [3]. राठी, एम.जी., व्यावसायिक अर्थशास्त्र, सतीश प्रिन्टर्स एण्ड पब्लिशर्स, इन्दौर 2018 पृष्ठ क्रमांक 357 से 368
- [4]. रे एवं शर्मा, सांख्यिकी विधियाँ, रामप्रसाद एण्ड संस, आगरा 2006
- [5]. वाष्णीय, पी.एन., बैंकिंग विधि एवं व्यवहार, सुल्तान चन्द एण्ड संस, नई दिल्ली, 2020
- [6]. शुक्ल, डॉ. एस.एम. एवं सहाय, डॉ. शिवपूजन, सांख्यिकी के सिद्धांत, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगरा, 2018
- [7]. शर्मा, डॉ. हरिश चन्द्र, बैंकिंग विधि एवं व्यवहार, एसबीपीडी. पब्लिशिंग हाउस, आगरा, 2019
- [8]. सिंह, केवल कृष्ण, भारतीय अर्थशास्त्र,



- [9]. सिन्हा, डॉ. वी.सी., मुद्रा एवं बैंकिंग, स.बी.पी.डी., सन् 2019 पृष्ठ क्रमांक 147,
- [10]. सिन्हा, डॉ. वी.सी. और डॉ. पुष्पा, मुद्रा एवं बैंकिंग, एस.बी.पी.डी. पब्लिशिंग हाउस आगरा, 2019–2020
- [11]. योजना पत्रिका के विभिन्न अंक।
- [12]. कुरुक्षेत्र पत्रिका के विभिन्न अंक।